

प्रेषक,  
सिद्दीकी साइमा जर्जर आलम,  
सिविल-जज(जू.डि.),  
चन्दौली।

सेवा में,  
माननीय महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,  
चन्दौली।

विषय-माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या- 25/एडमिन(ए) दिनांकित  
13 जुलाई, 1998 के अनुसरण में मेरे द्वारा कय की गयी मारुति  
सियाज कार की सूचना के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,  
चूंकि मैंने नई मारुति कार सियाज कय की है, अतः मैं उसकी सूचना  
माननीय उच्च न्यायालय को आपके माध्यम से विहित परिपत्र के अनुसार  
माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रही हूँ:-

1. सेवा में नियुक्ति की तिथि- 10.03.2017
2. कय की विशिष्टियाँ- कय का दिनांक 17.10.2017,  
कार की श्रेणी- मारुति सुजूकी  
सियाज जेड.एक्स.आई पेट्रोल,  
इंजन नं.- K14BN-7166202  
चेसिस नं.-  
MA3EXMGIS00291421 कुल  
खर्च 10,89,673/-रु (जिसमें  
रजिस्ट्रेशन  
शुल्क-80,502/-रु व बीमा  
शुल्क-51,568/- रु  
सम्मिलित है, कलर- पर्ल स्नो  
वाइट)  
माननीय उच्च न्यायालय से  
कोई ऋण नहीं लिया गया है।  
अन्य किसी प्रकार की सूचना  
की आवश्यकता नहीं है।
3. उच्च न्यायालय से कोई ऋण  
लिया गया है या नहीं- लागू नहीं।
4. सेकेण्ड हैण्ड कार से संबंधित- लागू नहीं।
5. प्रापर्टी से संबंधित- लागू नहीं।
6. कार डीलर का पूरा नाम व पता- सिद्धी विनायक ट्रेक्टर्स, मछली  
शहर, जौनपुर  
सूचनादाता/न्यायिक अधिकारी  
का डीलर से किसी प्रकार का  
कोई संबंध नहीं है। क्योंकि
7. क्या न्यायिक अधिकारी का संबंध  
है-

*Seema*

न्यायिक अधिकारी चन्दौली क्षेत्र में कार्य करती है जबकि कार विक्रेता जौनपुर क्षेत्र में कार विक्रय का कार्य करता है या आवासित है।


8. भुगतान के स्रोत का तरीका-

- 1- नकद रु. 2,74,673.00/-
- 2- एस.वी.आई. कार लोन खाता संख्या 20345251498 से रु. 8,15,000.00/- लोन द्वारा कार क्रय किया गया है, कुल कार की कीमत रु. 10,89,673.00/-

मैं दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज संलग्न कर रही हूँ। सूचना माननीय महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,


दिनांक: 18/09/2019.

  
(सिद्दीकी साइमा जर्जर आलम)  
सिविल-जज(जू.डि.)  
चन्दौली।

संलग्नक-

- 1- वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 2- वाहन क्रय रसीद की छायाप्रति

JUDGE SHIP, CHANDAULI  
No. 854 / XV Dated ... 19.9.2019  
Forwarded

  
District Judge  
Chandauli